

प्रकरण क्रमांक-92 / 2021
संस्थित दिनांक-05.03.2021

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE 1898

In the Court of Smt. Deepti Singh Gaur, Judicial Magistrate Class First
Simga, Distt. Balodabazar (C.G.)

Name and address of the complaint C.G.Govt. Through PS Simga

Name, parentage, Cast and address of accused

अनिरुद्ध कुमार चौधरी पिता स्व. देवेन्द्र चौधरी उम्र 56 वर्ष निवासी
आजाद चौक गांधी नगर बीरगँव थाना उरला जिला रायपुर छ.ग.

The Offence complained of, and I date of, its alleged commission

अभियुक्त ने घटना दिनांक 23/02/2021 समय 05:58 बजे घटना
स्थान कोतरी नाला के पास एन.एच. 130 या अंतर्गत थाना सिमगा जिला
बलौदाबाजार मे वाहन टाटा क्रमांक सी.जी. 04 जे.डी. 2906 को तेजी एवं
लापरवाही पूर्वक चलाकर वाहन बोलेरो एम्बुलेंस क्रमांक सी.जी. 04
एम.एक्स 3770 को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया और ऐसा करके
आपने वह कृत्य किया जो कि भा.द.वि. की धारा 279 के तहत दंडनीय
है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

श्रीमती दीप्ति सिंह गौर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिमगा जिला बलौदाबाजार

The Plea of the accused and his examination (if any)

1-----

The offence proved, if any and in case under clause (d),
clause (f), or clause (g) of sum section (i) of on 260 the value of
the property in respect of which the offence has been committed.

श्रीमती दीप्ति सिंह गौर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिमगा जिला बलौदाबाजार

न्यायालय ::- (श्रीमती दीप्ति सिंह गौर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिमगा, जिला बलौदाबाजार (छ0ग0)

// निर्णय //

(आज दिनांक 05/03/2021 को घोषित)

अभियुक्त अनिरुद्ध कुमार चौधरी की स्वेच्छया पूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे भा.द.वि. की धारा 279 के तहत दोषसिद्ध ठहराया जाता है। अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 279 के तहत 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है ।

अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने की दशा में एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे ।

प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति वाहन बोलेरो एम्बुलेंस क्रमांक सी.जी. 04 एम.एक्स 3770 को उसके पंजीकृत स्वामी सुपुर्दनामे पर है एवं जप्तशुदा वाहन टाटा क्रमांक सी.जी. 04 जे.डी. 2906 मय दस्तावेज उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया ।
मेरे निर्देश पर टंकित किया गया

(श्रीमती दीप्ति सिंह गौर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिमगा, जिला बलौदाबाजार

